New Delhi, for the year 1980-81 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. [*Placed in Library. See* No. LT-4011/82].

BRAHMAPUTRA BOARD RULES, 1981

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): I beg to lay on the Table a copy of the Brahmaputra Board, Rules, 1981 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 676(E) in Gazette of India dated the 29th December, 1981 together with a Corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 240(E) in Gazette of India dated the 1st March, 1982, under section 30 of the Brahmaputra Board Act. 1980. [*Placed in Library. See* No. LT-4012/82].

ESTIMATES COMMITTEE

TWENTY NINTH, SIXTH AND THIRTIETH REPORTS & MINUTES

SHRI S. B. P. PATTABHI RAMA RAO (Rajahmundri): Sir, I beg to present the following Reports and Minutes (Hindi and English versions) of the Estimates Commiitee:—

(i) Twenty-ninth Report on the Ministry of Finance—Direct Taxes (Wealth Tax, Gift Tax and Estate Duty—Part II).

(ii) Twenty sixth Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Eleventh Report of the Committee on the Ministry of Communications—Telephones.

(iii) Thirtieth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Fourteenth Report of the Committee on the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)—Small Scale Industries—Raw Materials and Marketing.

(iv) Minutes relating to the Twenty-third Report on the Ministry of Commerce—Export Promotion.

(v) Minutes relating to the Twentieth and Twenty-fourth Reports on the Ministry of External Affairs—Overseas Indians in Sri Lanka—Part II and South East Asia (Burma, Malaysia, Singapore and Indonesia)—Part III.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

FORTYFIRST REPORT & MINUTES

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): Sir, I beg to present the Forty-first Report (Hindi and English versions) of the Commiittee on Public Undertakings on Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited and Minutes of the sittings of the Committee relating thereto.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) STEPS FOR INCREASED INDUSTRIALISATION OF KUMAON AND GARHWAL DIVISION OF U.P.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न विषय यहां रखना चाहता हूं—

उत्तर प्रदेश के कुमाऊं व गढ़वाल मंडल औद्योगिक रूप से देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । यहां पर वनों पर आधारित तथा सीमेंट मैग्नेशियम के उद्योग स्थापित

किए जाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं तथा यहां की जलवायु इलैक्ट्रानिक टैक्नोलाजी पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त है । लेकिन इस प्रकार के उद्योग भी यहां नहीं लगाए गए हैं । इन क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए मैं निम्न सुझाव माननीय उद्योग मंत्री जी को उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करना चाहता हूं--

1. यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखते हुए यहां पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार हेतु पर्यटन को उद्योग घोषित किया जाना आवश्यक है ।

2. यहां के प्रत्येक जनपद में दो बड़े मध्यम श्रेणी के उद्योग व उनकी एसेलरीज स्थापित की जाए ।

3. यहां के उद्यमियों को 25 प्रतिशत इन्वेस्टमैंट सबसिडी दाएन की जाए तथा 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाए । पूंजी उपादान योजना की धनराशि शीघ्र बढ़ाई जाए तथा इसका वितरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए इस हेतु नियम बने ।

4. यहां स्थापित होने वाली इकाइयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए तथा विद्युत व्यय एक्चुअल कन्जम्शन के आधार पर वसूल हो तथा विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन योजना स्वरूप माइक्रोहाइडिल योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाए ।

5. यहां स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को बैंकों से कार्यशील पूंजी दिलवाई जाए।

6. इन क्षेत्रों में कच्चे माल व ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने हेतु इन जनपत्रों के कच्चे माल के डिपो खोले जाने चाहियें ।

7. न्यू जैनरेशन आफ इंटरप्रोन्योर को उद्योग संबंधी टैक्निकल नो हाउ, डोर स्टैप पर दी जाए ।

8. इन क्षेत्रों के स्थापित उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की मार्किटिंग व्यवस्था कम से कम 10 वर्ष के लिए शासन द्वारा स्थापित मार्किटिंग नियम द्वारा सुनिश्चित की जाए तथा यहां के उद्योगों को एक निश्चित अवधि तक सोसियल प्रोटेक्शन पीरियड के अन्तर्गत रखा जाए ।

9. खादी ग्रामोद्योग कमीशन की अधिक से अधिक इकाइयां, विशेषकर पिथौरागढ, चमोली जनपदों में स्थापित की जाए ।

10. इन क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक्स टैक्नालाजी पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार एक दीर्घकालीन योजना तैयार करे ।

12.08 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

(ii) Laying of a broad Gauge line between Pathankot and Kandla.

श्री बृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, पठानकोट से कांडला पोर्ट ब्राड गेज लाइन का होना देश की सुरक्षा, राजस्थान नहरी क्षेत्र एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास, व्यापारिक, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है ।

पठानकोट से सूरतगढ तक बड़ी लाइन बनी हुई है । सूरतगढ़ से बीकानेर ब्राडगेज लाइन बनाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने इस वर्ष दी है। बीकानेर से कोलायत तक छोटी लाइन बनी हुई है । कोलायत से फलौदी तक 110 किलोमीटर की लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है, फलौदी से जैसलमेर तक छोटी लाइन बनी हुई है, और जैसलमेर से बाड़मेर, साचार एवं आबू रोड तक नई ब्राड गेज लाइन बनाने से पठानकोट का कांडला पोर्ट से सीधा सम्बन्ध जुड़ जाता है ।

यह देश की सबसे बड़ ब्रिाडगेज लाइन होगी, उक्त रेलवे लाइन के बनने से काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी यू. पी. एवं राजस्थान का सबसे नजदीकी पोर्ट से संबंध जुड़ने से औद्योगिक, व्यापारिक आयात एवं निर्यात ट्रेड की दृष्टि से बड़ा लाभ होगा । राजस्थान नहर का सम्पूर्ण क्षेत्र इस रेलवे